

निबंधन संख्या पी0टी0-40



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

5 आश्विन 1941 (श0)
(सं0 पटना 1101) पटना, शुक्रवार, 27 सितम्बर 2019

निर्वाचन विभाग

अधिसूचना

27 सितम्बर 2019

सं0 बी1-3-137/2019-69—राज्य सभा का उप निर्वाचन, 2019 से संबंधित भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली की अधिसूचना संख्या 100/रा.स.-बिहार/15/2019(1) दिनांक 27.09.2019 एवं अधिसूचना संख्या 100/रा.स.-बिहार/15/2019(2) दिनांक 27.09.2019 सर्वसाधारण की जानकारी के लिए पुनः प्रकाशित की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
रत्नेश झा,
संयुक्त सचिव।

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001, दिनांक 27 सितम्बर, 2019/ 5 आश्विन, 1941 (शक)

सं. 100/रा.स.-बिहार/15/2019(1)- यतः, बिहार राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा में निर्वाचित श्री जेठमलानी राम बूलचंद का स्थान जिनकी पदावधि 07.07.2022 सहित उस तारीख तक थी के समाप्त होने से पूर्व निधन होने के कारण 08-09-2019 से रिक्त हो गया है; और

यतः, इस प्रकार हुई रिक्ति को भरने के प्रयोजन से उप-निर्वाचन कराना है:

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (1951 का 43) की धारा 147, धारा 39 की उपधारा (1) और धारा 56 के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा-

(अ) बिहार राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों से यह अपेक्षा करता है कि वे 18 अक्टूबर 2019 से पूर्व तथा उक्त अधिनियम और तद्विनिर्दिष्ट बनाए गए नियमों और उनके तहत जारी किए गए आदेशों के उपबन्धों के अनुसार राज्य सभा में उक्त रिक्ति को भरने के प्रयोजन से एक व्यक्ति निर्वाचित कर दें।

(आ) उक्त निर्वाचन के संबंध में:-

(क) नाम निर्देशित करने की अन्तिम तारीख - 04 अक्टूबर, 2019 (शुक्रवार);

(ख) नाम निर्देशन की संवीक्षा की तारीख - 05 अक्टूबर, 2019 (शनिवार);

(ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीख - 09 अक्टूबर, 2019 (बुधवार);

(घ) वह तारीख जिसको यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा - 16 अक्टूबर, 2019 (बुधवार);

और

(ड.) वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाएगा - 18 अक्टूबर, 2019 (शुक्रवार);

नियत करता है:

और

(इ) 9.00 बजे पूर्वाह्न से 4.00 बजे अपराह्न तक का समय उस समय के रूप में नियत करता है जिसको, यदि आवश्यक हुआ तो, विनिर्दिष्ट तारीख को मतदान होगा।

आदेश से,
वरिन्दर कुमार,
प्रधान सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग ।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001, Dated 27th September, 2019, 5 Asvina, 1941 (Saka)

No. 100/CS-BR/15/2019(1): - WHEREAS, the seat of Sh.Jethmalani Ram Boolchand in the Council of States, elected by the elected members of the Legislative Assembly of Bihar, has become vacant on 08.09.2019 by the reason of his Death, before the expiration of his term of office which was up to and including 07.07.2022; and

WHEREAS, a bye-election is to be held for the purpose of filling the vacancy so caused;

NOW, THEREFORE, in pursuance of section 147, sub-section (1) of section 39 and section 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby-

- (A) **calls upon** the elected members of the Legislative Assembly of Uttar Pradesh to elect, before 18th October, 2019 and in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person for the purpose of filling the said vacancy in the Council of States;
- (B) **appoints**, with respect to the said election;
- (a) the 04th October, 2019 (Friday), as the last date for making nominations;
- (b) the 05th October, 2019 (Saturday), as the date for the scrutiny of the nominations;
- (c) the 09th October, 2019 (Wednesday), as the last date for the withdrawal of candidatures;
- (d) the 16th October, 2019 (Wednesday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken; and
- (e) the 18th October, 2019 (Friday), as the date before which the election shall be completed;
- and
- (C) **fixes the hours** from 9:00 a.m. to 4:00 p.m., as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above for the election.

By order,
VARINDER KUMAR,
*Principal Secretary to the
Election Commission of India.*

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001, दिनांक 27 सितम्बर, 2019 / 5 आश्विन, 1941 (शक)

सं. 100/रा.स.-बिहार/15/2019(2)-लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम् 1951 (1951 का 43) की धारा 21 के अनुसरण में और धारा 22 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत निर्वाचन आयोग, बिहार राज्य सरकार के परामर्श से एतद्वारा तारीख 27 सितंबर, 2019 को राज्य के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आयोग की अधिसूचना के अनुसरण में इस राज्य की विधान सभा के सदस्यों द्वारा राज्य सभा के लिए होने वाले उप निर्वाचन के संबंध में एतद्वारा-

- (1) नीचे की सारणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट अधिकारी को रिटर्निंग आफिसर के रूप में पदाभिहित करता है; और
- (11) उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट अधिकारी को रिटर्निंग आफिसर की उसके कृत्यों के पालन में सहायता के लिए सहायक रिटर्निंग आफिसर नियुक्त करता है।

सारणी

रिटर्निंग आफिसर के रूप में पदाभिहित अधिकारी	सहायक रिटर्निंग आफिसर के रूप में नियुक्त अधिकारी
(1)	(2)
श्री बटेश्वर नाथ पाण्डेय, सचिव, बिहार विधान सभा	श्री भूषण कुमार झा, निदेशक, बिहार विधान सभा

आदेश से,
वरिन्दर कुमार,
प्रधान सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग ।

ELECTION COMMISSION OF INDIA**NOTIFICATION**

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001, Dated 27th September, 2019, 5 Asvina, 1941 (Saka)

No. 100/CS-BR/15/2019(2): - In pursuance of section 21, and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 22, of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India, in consultation with the Government of the State of Bihar, hereby-

- (i) designates the officer, specified in column (1) of the TABLE below, to be the Returning Officer; and
- (ii) appoints the officer, specified in column (2) of the said TABLE, to be the Assistant Returning Officer to assist the Returning Officer in the performance of his functions;

in respect of the bye-election to the Council of States, to be held in the State in pursuance of the Commission's Notification, published in the Gazette of India on 27th September, 2019: -

TABLE

Officer Designated as Returning Officer (1)	Officer Appointed as Assistant Returning Officer (2)
Sh. Bateshwar Nath Pandey, Secretary, Bihar Legislative Assembly	Sh. Bhushan Kumar Jha, Director, Bihar Legislative Assembly

By order,
VARINDER KUMAR,
*Principal Secretary to the
Election Commission of India.*

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1101-571+50 -डी0टी0पी01
Website: <http://egazette.bih.nic.in>